::-स्मृति-पत्र-::

1- संस्था का नाम :- शान्ज एकेडेमी।

2- संस्था का पता :- टाउन केराकत, पो० केराकत, जिला- जौनपुर।

3- संस्था का कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

4- संस्था के उद्देश्य :- संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

§1§ बालक-बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिये नर्सरी, प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, एवं इण्टरमीडिएट विद्यालय की स्थापना करना, तथा उसे संचालित करना।

§2§ ज्ञान-विज्ञान, भौतिक, शारीरिक, मानसिक शिक्षा प्रदान कर एक सुयोग्य नागरिक बनाना।

§3§ नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विषयों एवं भाषाओं का समुचित व्यवस्था करना।

§4§ सदाचार तथा आध्यात्मिक विकास के लिये पुस्तकालय एवं वाचनालय आदि की व्यवस्था करना।

§5§ निर्धन असहाय तथा मेधावी छात्र-छात्राओं को पुस्तकीय सहायता तथा छात्रवृत्ति आदि की सुविधाये उपलब्ध कराना।

§6§ बालक-बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिये हार्डवेयर शाफ्टवेयर, कम्प्यूटर एवं टाइप राईटर आदि प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, तथा उसे संचालित करना।

§7§ कार्यक्षेत्र के बालिकाओं, युवतियों एवं महिलाओं के विकास एवं उत्थान के लिये सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कालीन बुनाई, दरी बुनाई, एवं पेन्टिंग आदि प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, तथा उन्हें प्रशिक्षित कर स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न करना।

§8§ अनुसूचित, जनजाति, विकलांग पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यको के विकास में सतत् प्रयत्नशील रहना।

§9§ औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा पर मत देना।

§10§ शिक्षित एवं बेरोजगार युवको एवं युवतियों के विकास हेतु तकनीकी शिक्षण की स्थापना एवं संचालन करना।

§5§ प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पिता, पता, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है।

सत्य प्रतिलिपि

----2 पर

मु० आरिफ खाँ

सहायक निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

क्र०सं०नाम/पिता	पता	पद	व्यवसाय
1-अमानुल्लाह खाँ पुत्र अबुल खैर खाँ	केराकत, जिला- जौनपुर।	सदर	तिजारत
2- अब्दुर्रहीम खाँ पुत्र अ० हमीद खाँ	" "	नायबसदर	मुलाजिम
3- यासमीन बेगम पुत्री अ० रहीम खाँ	" "	सेक्रेटरी/ खाजिन	"
4- नफीस अख्तर खाँ पुत्र नसीम अहमद खाँ	" "	उपसेक्रेटरी	"
5- अलीमुल्लाह खाँ पुत्र अता हुसैन खाँ	" "	सदस्य	एडवोकेट
6-मु० शब्बीर खाँ पुत्र सगीर अहमद खाँ	" "	"	"
7-जुबेर अहमद खाँ पुत्र ~~अमीन खाँ~~ लाल मुहम्मद खाँ	" "	"	मुलाजिम
8- नसीम अहमद खाँ पुत्र ~~लाल मुहम्मद खाँ~~ अमीन खाँ	" "	"	एडवोकेट
9- मु० आरिफ खाँ पुत्र नसीम अहमद खाँ	" "	"	मुलाजिम

6- हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता संस्था को उपरोक्त स्मृति-पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजि० ऐक्ट 21 सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते है :-

क्र०सं० नाम	पता	हस्ताक्षर,
1-अमानुल्लाह खाँ	केराकत, जिला- जौनपुर।	[signature]
2- अब्दुर्रहीम खाँ	" "	[signature]
3- यासमीन बेगम	" "	Yasmin Begum
4- नफीस अख्तर खाँ	" "	नफीस Akhtar खाँ
5- अलीमुल्लाह खाँ	" "	[signature]
6-मु० शब्बीर खाँ	" "	M.S. Khan
7- जुबेर अहमद खाँ	" "	Zubair Ahmad Khan
8- नसीम अहमद खाँ	" "	[signature]
9- मु० आरिफ खाँ	" "	मु० आरिफ खाँ

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक- 6.3.2000

सहायक निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये
रु.10

भारत
सत्यमेव जयते
INDIA

TEN RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03AC 167408

[illegible]
[illegible] 022916 [illegible]
[illegible]

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : शान्ज एकेडेमी
2. संस्था का पता : टाउन केराकत, पो0 केराकत, जिला–जौनपुर
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :–

संस्था की सदस्यता निम्नवत होगी।

(अ) <u>आजीवन सदस्य</u> : वे व्यक्ति जो संस्था को 500/–रू0 नगद धनराशि या उससे अधिक मूल्य की चल अचल सम्पत्ति एक बार में देगें वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेगें।

(ब) <u>सामान्य सदस्य</u> : वे व्यक्ति जो संस्था को 50/–रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करेगें वे संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेगें।

(स) <u>विशिष्ट सदस्य</u> : वे समाज के सम्मानित व्यक्ति जो संस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए तन, मन, एवं धन से पूर्ण रूपेण सहयोग प्रदान करेगें, वे संस्था के प्रबंध समिति के 2/3 बहुमत से विशिष्ट सदस्य मनोनीत कर लिए जायेगें।

5. <u>सदस्यता की समाप्ति</u> : निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।

1. किसी सदस्य के मृत्यु होने पर।
2. किसी सदस्य के पागल या दिवालिया होने पर।
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग–पत्र प्राप्त होने पर।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
7. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

6. <u>संस्था के अंग</u> : (अ) साधारण सभा
(ब) प्रबन्धकारिणी समिति

7. <u>साधारण सभा</u>

(क) <u>गठन</u> : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर नियमावली के कालम नं. चार के अनुसार साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

(ख) <u>बैठकें</u> : साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्कतानुसार किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

(ग) <u>सूचना अवधि</u> : साधारण सभा की सामान्य बैठक के लिए सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सभी सदस्य[illegible] जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपिकर्ता
मिलान कर्ता

Scanned with CamScanner

(घ) गणपूर्ति : साधारण सभा की सामान्य व विशेष आवश्यक बैठक की गणपूर्ति सभी सदस्यों के दो तिहाई उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

(ड.) वार्षिक अधिवेशनः—

संस्था का वार्षिक अधिवेशन 26 जनवरी पर हर वर्ष हुआ करेगी। संस्था के कार्यालय पर।

(च) साधारण सभा के कर्तव्यः--

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा विचार के लिये भेजे गये प्रस्तावों, मामलों आदि पर विचार करना।
2.. संस्था की स्थापना नीति, उसके कार्यक्रमों और योजनाओं का निर्धारण करना।
3. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन करना।
4. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया के लिये स्वीकृति प्रदान करना।

8. प्रबन्धकारिणी समितिः—

(क) गठन :— प्रबन्धसमिति का गठन साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा किया जायेगा जिसमें सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी/खाजिन एवं नायब सेक्रेटरी के अलावा प्रबन्धसमिति के पॉच सदस्य होगें।

(ख) बैठके :— प्रबन्धसमिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार तथा विशेष आवश्यक बैठक किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

(ग) सूचना अवधि :— प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 7 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से 1 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

(घ) गणपूर्ति :— प्रबन्ध समिति की सामान्य व विशेष आवश्यक बैठक की गणपूर्ति सभी सदस्यों के दो तिहाई उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

(ड.) रिक्त स्थानों की पूर्ति :— प्रबन्धकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा साधारण सभा के सदस्यों में से किसी योग्य सदस्य का निर्वाचन शेष अवधि के लिये कर लिया जायेगा।

(च) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य व अधिकारः—

1. संस्था के बजट पर विचार कर उसे स्वीकृत करना।
2. संस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिये उपसमितियों का गठन करना।

सत्य प्रतिलिपि
कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

Yasmin Begam

प्रतिलिपि कर्ता........
मिलान कर्ता........

Scanned with CamScanner

3. संस्था के लिये दान, अनुदान, चन्दे आदि प्राप्त करना।
4. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति करना, पदोन्नति करना तथा निष्काषित करना।
5. संस्था के लिये चल अचल सम्पत्ति को प्राप्त करना।
6. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

(छ) कार्यकाल :— प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होगा ।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः—

सदरः—

1. साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2.. किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत दान होने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना।
3. बैठक करने के लिये सेक्रेटरी/खाजिनके राय से दिनांको का अनुमोदन करेगा।
4 संस्था के अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

नायब सदरः— सदर की अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

सेक्रेटरी/नाजिम :—

1. संस्था के लिये दान अनुदान चन्दे आदि को प्राप्त करना तथा उसके लिये यथाविधि रसीदें देना।
2. आवश्यकतानुसार सामान्य व विशेष बैठक बुलाना तथा कोरम के अभाव में बैठक स्थगित करना।
3. बैठक करने के लिये सभी सदस्यों को सूचनाये देना तथा बैठक में की गयी कार्यवाही को लिखना।
4. संस्था से सम्बन्धित कागजात एवं प्रपत्रों आदि पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करना।
5. वैतनिक कर्मचारियों के वेतन, वेतनवृद्धि तथा अन्य देय धनराशियों आदि का भुगतान स्वीकृत करना।
6. वैतनिक कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
7. आय–व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करवाना तथा आडिट कराना।
8. संस्था के विकास एवं विस्तार के लिये सम्पर्क स्थापित करना तथा संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
9. अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करना।

सत्य प्रतिलिपि
कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

Yasmin Begam

10. समय–समय पर संस्था के हित में आवश्यक सुझाव व निर्देश देना।
11. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना, जो नियमानुसार मान्य होगें।
12. संस्था के समस्त खातो की जिम्मेदारी वहन करना, तथा उनका आवतन लेखा–जोखा मुकम्मल रखना।
13. संस्था के समस्त धनराशियों का रसीदें रखना।
14. संस्था के समस्त आय को बैंक में जमा करना।

नायब सेक्रेटरी:– सेक्रेटरी/खाजिन के अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना, तथा उनके निर्देशो का पालन करना।

कोषाध्यक्ष:–
1. संस्था के आय–व्यय का हिसाब किताब तैयार करना।
2. संस्था आय–व्यय के वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना।
3. प्रबन्धक/सचिव के आदेशानुसार समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में जमा करना।

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:–
साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संसोधन एवं परिवर्तन किया जायेगा।

11. संस्था का कोष:–
किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर संस्था की समस्त धनराशियों को जमा किया जायेगा जिसका संचालन अध्यक्ष एवं सेक्रेटरी/खाजिन के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

12. संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण:–
संस्था के वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नियुक्त आय–व्यय निरीक्षक द्वारा संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) कराई जायेगी।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व:–
संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध लगाये गये अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सेक्रेटरी/खाजिन की होगी।

14. संस्था के अभिलेख:– संस्था के अभिलेख निम्नलिखित होगा।
1. कार्यवाही रजिस्टर
2. सदस्यता रजिस्टर
3. स्टाक रजिस्टर
4. कैश बुक आदि

15. संस्था के विघटन:– संस्था के विघटन तथा उसके विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

Yasmin Begam

Scanned with CamScanner

16. प्रतिबन्धः–

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय--समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा– निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें ओर उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सैकेन्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इंण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिष से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(ड) संस्था द्वारा शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृतत लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी निर्गत किये जायेगें संस्था उसका पालन करेगी।

(ज) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा यदि हॉ तो अपना प्रबन्धधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध कम 1 से 8 तक स्वीकार करें।

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

सत्य–प्रतिलिपि

दिनांक........ Yasmin Begam ....हस्ताक्षर..........